Principle of Maximum Social advantage
अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त

राज्य के वित्तीय नीति निर्धारण के अन्तर्गत सरकार आय व व्यय सम्बन्धी जो गुरुत्व कार्य करती है। लेकिन आय और व्यय का सामंजस्य कैसे हो इसपर विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अलग अलग विचारधारा है।

प्राचीन विचारधारा के अनुसार सरकार वही आदर्श मानी जाती है जो कम से कम कर लगाती है और कम से कम खर्च करती है। इसलिए J B Say ने कहा कि "सार्वजनिक वित्त की वही योजना सबसे उपयुक्त होती है जिसमें न्यूनतम लाभ किया जाता है और सब करों में वही सबसे अच्छा होता है जिसकी मात्रा सबसे कम होती है।"

आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार सरकार के न सभी कर अभिशाप है और न सभी लाभ अनुत्पादक होते है। वर्तमान समय में 'कल्याणकारी राज्य' की स्थापना ही मुख्य उद्देश्य है। जिसमें सरकार का आय और व्यय दोनों में इस प्रकार का सामंजस्य हो कि समाज को अधिकतम लाभ की प्राप्ती हो।

अधिकतम सामाजिक लाभ का प्रतिपादन डाल्टन ने किया था। डाल्टन के अनुसार "राजस्व की सर्वोत्तम व्यवस्था वही कहलायेगी जिसकी क्रियाओं में अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ती होती हो।" यदि सरकार के किसी कार्य से या कर लेने से कुछ व्यक्ति व्यक्तियों को नुकसान हो पर सम्पूर्ण समाज का कल्याण हो तो वह राजस्व के सिद्धान्त के अनुसार न्यायोचित माना जाता है।

राजस्व के सिद्धान्त के अनुसार सरकार इसप्रकार कर ले तथा उसे व्यय करे कि अनुपयोगिताओं से प्राप्त उपयोगिताओं की मात्रा अधिकतम हो।
अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए सरकार को निम्न कियायें अनिवार्य है।-

1. आय के वितरण में परिवर्तन -
सरकार कर के रूप में धनी वर्ग के लोगों से आय प्राप्त करती है और उसे निर्धन वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय करती है। इससे आय की असमानता कम होती है जो अधिकतम कल्याण को बढ़ाता है।

2. उत्पादन में परिवर्तन -
कर चुकाने के लिए या तो लोग उपभोग कम करते है या बचत कम करते है जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए प्रगतिशील कर का लगना आवश्यक है।

3. बचत पर प्रभाव -
अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए यह आवश्यक है कि कर इसप्रकार लगाया जाय जिससे कि समाज में बचत को प्रोत्साहन मिले।
अंतरण अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए उक्त सारी बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है।
अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। सरकारे प्रायः धनी वर्गों पर ऊंचे कर लगाती है और इनसे प्राप्त होने वाली आय निर्धन वर्गों पर खर्च की जाती है। धनी वर्गों पर करारोपण से उनकी सीमान्त उपयोगिता

घटती है इसरी ओर जब इन करों से प्राप्त आय गरीबों की सुविधाओं पर खर्च किया जाता है तो इनके उनकी सीमान्त उपयोगिता शुरू में बढ़ती है लेकिन अधिकाधिक खर्च होने पर उनकी सीमान्त उपयोगिता घटनी शुरू हो जाती है। डाल्टन के अनुसार "यह प्रक्रिया सरकार द्वारा उस सीमा तक प्रचलित रखनी जानी चाहिए जब तक बढ़ती हुई सीमान्त उपयोगिता गरीबों की घटती हुई सीमान्त उपयोगिता के बराबर नहीं हो जाती। अर्थात सीमान्त उपयोगिता कर की मात्रा में वृद्धि से प्राप्त होने वाली अनुपयोगिता कर की मात्रा में वृद्धि से प्राप्त होने वाली अनुपयोगिता कर से प्राप्त रकम को व्यय करने से समाज को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के बराबर होना चाहिए। उपर्युक्त सिद्धान्त को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है —

इकाई	करारोपण से होनेवाली अनुपयोगिता	कर से प्राप्त रकम को व्यय करने से प्राप्त उपयोगिता
1	1	36
2	4	28
3	8	24
4	12	22
5	19	19
6	26	7
7	34	2

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि पाँचवे इकाई से अधिक कुल कराधान नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि यह अधिक होता है तो सामाजिक लाभ अधिकतम नहीं हो सकता। इसे रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है —

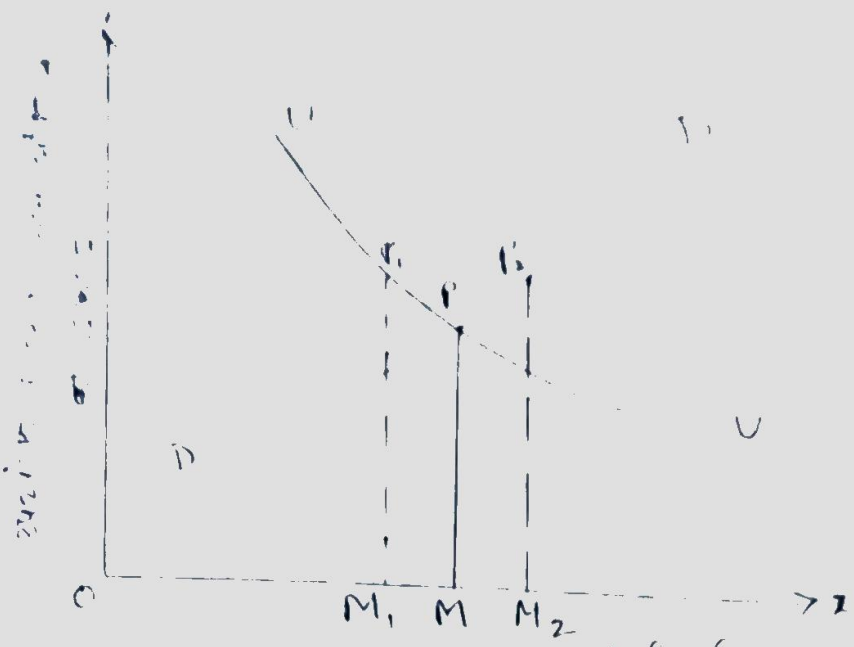

कर एवं भोग की ईकाई

उपयुक्त चित्र में OX रेखा पर कर और भोग की ईकाई तथा OY रेखा पर उपयोगिता और अनुपयोगिता को दिखाया गया है। UU वक्र सरकारी भोग की प्रत्येक ईकाई से क्रमशः घटती हुई उपयोगिता को व्यक्त करता है तथा DD वक्र कर की प्रत्येक ईकाई से क्रमशः बढ़ती हुई अनुपयोगिता को व्यक्त करता है। दोनों वक्र एक दूसरे को P बिन्दु पर काटते हैं। यह Equilibrium point साम्य बिन्दु होता है। इस बिन्दु पर सामाजिक त्याग अर्थात अनुपयोगिता एवं सामाजिक लाभ अर्थात उपयोगिता एक दूसरे के बराबर होते हैं। OM मात्रा से अधिक कर तथा तथा भोग करने से अनुपयोगिता अधिक और उपयोगिता कम हो जाता है। जो P_2M_2 रेखा से स्पष्ट है और OM से कम कर लेने तथा भोग करने से उपयोगिता अधिक और अनुपयोगिता कम हो जाती है। जैसा कि P_1M_1 रेखा से स्पष्ट है। अतः OM कर और भोग की आदर्श मात्रा से